पत्र संख्या–स0द0/2018–19/ 1819090 / 1917 /वाणिज्य कर।
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उ0प्र0।
(सचल दल अनुभाग)
लखनऊ:: दिनॉक:: 15 जनवरी, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर विभाग, राजस्व संग्रहण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व क्षरण रोकने तथा करापवंचन पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से विभाग द्वारा नियमित प्रवर्तन कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

जी0एस0टी0 तथा नेशनल ई–वे बिल व्यवस्था लागू होने के उपरांत विभाग के समस्त कार्य ऑनलाइन हो रहें हैं तथा जी0एस0टी0/ई–वे बिल पोर्टल पर पर्याप्त डाटा उपलब्ध है। इन पोर्टल पर उपलब्ध डाटा का विश्लेषण मुख्यालय स्तर पर कराये जाने पर प्रांत के कुछ क्षेत्रों में संगठित करापवंचन के प्रकरण सामने आये हैं। कुछ मामलों में संगठित करापवंचन का दायरा केवल प्रांत में ही सीमित न हो कर कई प्रांतों में व्याप्त होना पाया गया हैं। जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत पूरे देश में आई0टी0सी0 के प्रवाह की अनुमन्यता होने के कारण अन्तर्प्रांतीय सम्व्यवहार संवेदनशील हो चुके हैं। अतः http://boweb.internal.gst.gov.in, http://mis.ewaybillgst.gov.in व विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध डाटा विश्लेषण आधारित निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:–

1. पोर्टल पर उपलब्ध डाटा का क्षेत्रवार, जोनवार, कमोडिटीवार सम्यक विश्लेषण तथा संगठित करापवंचन में लिप्त इकाईयों की कार्य प्रणाली के सम्बंध में विस्तृत अध्ययन के उपरांत जोन में करापवंचन रोकने हेतु एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 वाणिज्य कर के नेतृत्व में जोन में तैनात एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 के साथ संयुक्त रूप से स्पष्ट रणनीति तैयार की जाए। एक ही लोकेशन पर जहाँ 02 जोन हैं वहाँ संयुक्त रूप से कार्य किया जायेगा। इस कार्य हेतु एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर आवश्यकतानुसार जोन में तैनात किसी भी अधिकारी को टीम बनाकर उसमें शामिल करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
2. प्रत्येक जोन के एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 वाणिज्य कर द्वारा अपने–अपने जोन में संभावित संगठित करापवंचन के सम्बंध में संलिप्त ट्रांसपोर्ट कम्पनियों, वाहनों, व्यक्तियों, कमोडिटीज़, संदिग्ध वाहनों द्वारा प्रयोग किये जा रहे रूट्स, समय आदि के सम्बंध में वांछित सूचनाएं संकलित करायी जाये। संकलित सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में जी0एस0टी0 पोर्टल, ई–वे बिल पोर्टल तथा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध SIB Management System, Mobile Management System, ई–वे बिल, रेड फ्लैग डीलर्स, पंजीयन रिपोर्ट, नॉन फाईलर्स रिटर्न, रिटर्न स्क्रुटनी डाटा, एवं मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग से प्राप्त इनपुट डाटा का अध्ययन करते हुए कार्ययोजना तैयार की जाये। इसके लिए मुख्यालय स्तर से Data Analysis सम्बन्धी सूचना/विश्लेषण की आवश्यकता होने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 की मांगानुसार पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा ।
3. करापवंचन की विशिष्ट सूचना होने अथवा संगठित करापवंचन का दायरा एक से अधिक जोन में पाये जाने की स्थिति में मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र/आदेश सं0–278/जी0एस0टी0/2017–18/फाईल नं0–118 दिनांक 01.07.2017 में अंकित प्रक्रिया के तहत कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदन से एक जोन के अधिकारियों को दूसरे जोन में कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जा सकेगा।

4. जोन में कार्यरत एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (SIB), वाणिज्य कर, जोन में किए जा रहे पर्वतन कार्य की पूर्ण जानकारी एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर को देंगे। जिससे सफल रणनाति के आधार पर फील्ड में परिणामपरक कार्यवाही करने में कोई असुविधा न हो।
5. Data Analysis के आधार पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर के मार्ग–निर्देशन में की गई परिणामपरक कार्यवाही के आधार पर सर्वश्रेष्ठ जोन को प्रत्येक त्रैमासिक की समाप्ति पर पुरूस्कार स्वरूप **"चल वैजन्ती"** प्रदान की जायेगी।
6. संगठित करापवंचन के विरूद्ध विशिष्ट सूचना आधारित कार्यवाही की जाएगी, ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो सके एवं अनावश्यक रूप से व्यापारियों का उत्पीड़न न हो।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:–निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. एडीशनल कमिश्नर (विधि / जी0एस0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 एस0टी0एफ0–1 / एस0टी0एफ0–2 / आई0एम0सी0
5. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (SIB) को अनुपालनार्थ ।
6. ज्वाइण्ट कमिश्नर (कर अनुसंधान इकाई), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
7. ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।